तथा देश के विभिन्न भागों में इसकी शाखाओं के विरुद्ध बड़ा रोष है ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ विशेष कारणों से पुलिस तथा अन्य बड़े अधिकारी इस संस्था को अनुचित संरक्षण देते हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि यह विद्यालय अपने नये नाम से कराची की भूतपूर्व 'ओंकार मण्डली' है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) सन् 1961 में उनकी हापुड़ शाखा के विरुद्ध प्रदर्शन के अतिरिक्त ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विद्यालय के विरुद्ध जनता के रोष का कोई उदाहरण सामने नहीं आया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां । विद्यालय की नींव उसी व्यक्ति द्वारा डाली गई है जिसने कराची की 'ओम मण्डली' न कि 'ओंकार मण्डली' की स्थापना की थी ।

Spying by Pakistanis

2168. Shri Nardeo Snatak:
Shri Vishram Prasad:
Shri Mohan Swarup:
Shri C. M. Kedaria:
Shri Kashi Ram Gupta:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 589 on the 16th March, 1966 and state:

(a) whether Government is aware of the fact that Pakistan has a well considered scheme under which she wants to utilise Pakistani Nationals, arrested during the last Indo-Pak hostilities for spying activities in India; and

(b) if so, the action Government propose to take in this connection?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Government have no such information.

(b) Does not arise.

उच्च अधिकारियों की सेवानिवृत्ति

2169. श्री नरदेव स्नातक :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री काशीराम गुप्त :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री छ० म० केदरिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचार का पता है कि शिक्षा सचिव (विज्ञान), समाज कल्याण विभाग के सचिव तथा कुछ अन्य आई० सी० एस० अधिकारियों को या तो उनके अपने राज्यों में वापस भेजा जायेगा अथवा उन्हें सेवानिवृत्त होने को कहा जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बीच क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख). अब सचिव (विज्ञान) ने स्वास्थ्य विभाग में सचिव के पद का कार्यभार संभाल लिया है । वे शीघ्र ही सेवानिवृत्ति की तैयारी की छुट्टी पर जाएंगे । सामाजिक कल्याण—सचिव को उनके राज्य में वापिस जाने के लिये कहा गया है । उनके मामले में कार्यवाही को कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार उनके द्वारा न्यायालय में लिखित आवेदन देने के कारण रोक लिया गया है । आई० सी० एस० तथा अन्य सेवाओं के अधिकारियों के कार्य पर पुनर्विचार किया जा रहा है और जहां कहीं आवश्यक होगी उचित कार्यवाही की जायेगी ।

निवास-स्थानों पर टेलीफोन और समयोपरि भत्ते

2170. श्री नरदेव स्नातक :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री छ० म० केदरिया :